रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236958
CG-DL-E-01072022-236958

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2842] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2022/आषाढ़ 10, 1944
No. 2842] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2022/ASHADHA 10, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जूलाई, 2022

सं. 15/2015–2020

विषय : सितम्बर 2020 से दिसम्बर 2020 की 4 माह की अवधि में किए गए निर्यात हेतु एमईआईएस के तहत आवेदनों को प्रस्तुत करने की समय–सीमा को बढ़ाना।

का.आ. 2988(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से अधिसूचना संख्या 58 दिनांक 07.03.2022 के द्वारा यथा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 3.13 क में निम्नानुसार संशोधन करती है:

दिनांक 07.03.2022 की अधिसूचना सं. 58 के अनुसार वर्तमान पैरा 3.13 क	**संशोधित पैरा 3.13 क**
दिनांक 07.03.2022 से कतिपय स्क्रिप आधारित स्कीमों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और ऐसे आवेदनों पर लागू विलंब कटौती इस प्रकार होगी:–	दिनांक 01.09.2020 से 31.12.2020 की अवधि में किए गए निर्यात हेतु एमईआईएस के तहत ऑनलाईन आवेदनों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 9.02 के अनुसार लागू विलंब कटौती निम्नानुसार होगी:

स्कीम	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	विलंब कटौती यदि अंतिम तिथि तक जमा की जाती है जैसा कि कॉलम 2 में दर्शाया गया है (स्कीम के अन्तर्गत पात्रता के प्रतिशत के रूप में)
(1)	(2)	(3)
(i) एमईआईएस (01.04.2020 से 31.12.2020 की अवधि में किए गए निर्यातों के लिऐं)	30.04.2022	शून्य
(ii) 2% अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन (एफटीपी के पैरा 3. 25 के तहत – केवल 01.01.2020 से 31.03.2020 की अवधि में किए गए निर्यातों के लिए)	30.04.2022	शून्य
(iii) आरओएससीटीएल (07.03.2019 से 31.12.2020 तक किए गए निर्यातों के लिए)	15.03.2022	शून्य
(iv) आरओएसएल (06.03.2019 तक किए गए निर्यातों जिनके लिए स्क्रिप तंत्र के अधीन अब तक दावों का संवितरण नहीं किया गया है)	15.03.2022	शून्य

निर्धारित अंतिम तिथि (उपर्युक्त के अनुसार) के बाद कोई और आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि ऐसे आवेदन कालातीत हो जाएंगे। इसके बाद में दावे प्रस्तुत करने के लिए विलंब कटौती के प्रावधान भी उपलब्ध नहीं होंगे।

स्कीम	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	विलंब कटौती यदि अंतिम तिथि तक जमा की जाती है जैसा कि कॉलम 2 में दर्शाया गया है (स्कीम के अन्तर्गत पात्रता के प्रतिशत के रूप में)
(1)	(2)	(3)
(i) एमईआईएस (01.09.2020 से 31.12.2020 की अवधि में किए गए निर्यातों के लिऐं)	31.08.2022	शून्य

निर्धारित अंतिम तिथि (उपर्युक्त के अनुसार) के बाद कोई और एमईआईएस आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे आवेदन कालातीत हो जाएंगे। इसके बाद की तिथि पर दावे प्रस्तुत करने के लिए विलंब कटौती के प्रावधान भी उपलब्ध नहीं होंगे।

2. **इस अधिसूचना का प्रभावः** दिनांक 01.09.2020 से 31.12.2020 की अवधि में किए गए निर्यात हेतु एमईआईएस के तहत आवेदनों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को दिनांक 31.08.2022 तक आगे बढ़ाया गया है।

[फा. सं. 01/61/180/288/एएम20/पीसी3 (पार्ट–1)]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2022

No. 15/2015-2020

Subject: Extension in deadlines for submission of applications under MEIS for exports made in the 4 months period, Sept 2020 to Dec 2020

S.O. 2988(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendments in para 3.13 A of the Foreign Trade Policy 2015-20 as notified vide Notification No. 58 dated 07.03.2022, with immediate effect, as below:

<table>
<tr><th>Existing Para 3.13A as per Notification no. 58 dated 07.03.2022</th><th>Amended Para 3.13 A</th></tr>
<tr><td>With effect from 07.03.2022, the last date for submission of online applications for certain scrip based Schemes and applicable late cut on such applications would be :
<table>
<tr><th>Scheme</th><th>Last date of submission of Application</th><th>Late Cut if submitted till the last date as in column 2
(as % age of Entitlement under the scheme)</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr>
<tr><td>(i) MEIS (for exports made in the period 01.04.2020 to 31.12.2020)</td><td>30.04.2022</td><td>Nil</td></tr>
</table>
</td><td>The last date for submission of online applications under MEIS for exports made in the period 01.09.2020 to 31.12.2020 , and applicable late cut as in Para 9.02 of HBP would be as below:
<table>
<tr><th>Scheme</th><th>Last date of submission of Application</th><th>Late Cut if submitted till the last date as in column 2
(as % age of Entitlement under the scheme)</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr>
<tr><td>MEIS (for exports in the period 01.09.2020 to 31.12.2020)</td><td>31.08.2022</td><td>Nil</td></tr>
</table>
No further MEIS applications would be allowed to be submitted after the prescribed last date (as above) and such applications would become time-barred. Late cut provisions shall also not be available for submitting claims at a later date.</td></tr>
</table>

(ii) 2 % additional ad hoc incentive (under para 3.25 of the FTP – for exports made in the period 01.01.2020 to 31.03.2020 only)	30.04.2022	Nil
(iii) ROSCTL (for exports made in the period 07.03.2019 to 31.12.2020)	15.03.2022	Nil
(iv) ROSL (for exports made upto 06.03.2019 for which claims have not yet been disbursed under scrip mechanism)	15.03.2022	Nil

No further applications would be allowed to be submitted after the prescribed last date (as above) as they would become time-barred. Late cut provisions shall also not be available for submitting claims thereafter.

2. Effect of this Notification: The last date of submitting applications under MEIS , for exports made in the period 01.09.2020 to 31.12.2020, has been extended upto 31.08.2022.

[F. No. 01/61/180/288/AM20/PC3 (Part-1)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.07.01 21:29:07 +05'30'